



# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 5393 / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जीएसटी

दिनांक 23/09/2017

विषय :- पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं कार्य हेतु टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी०एस०टी० से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

मुख्य अभियन्ता (वि०) / (सामग्री प्रबन्ध-1 / सामग्री प्रबन्ध-2)  
(तकनीकी) / (वाणिज्य) / (जानपद),  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,  
आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) /  
अधिशाली अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,  
आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

कृपया उपरोक्त विषयक उप महाप्रबन्धक, कारपोरेट टैक्स, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के पत्रांक 05 / उ०म०प्र०(टैक्स) / जी०एस०टी० सैल / 2017-18 दिनांक 20.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पूर्व सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जीएसटी से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा जैसाकि उक्त पत्रांक के बिन्दु सं०-04 में निर्देशित है कि पूर्व में निर्गत निविदाओं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात् पूरी होगी) में Anti Profiteering Clause जोड़ा जाना चाहिए। अतः उक्त Anti Profiteering Clause को जोड़ते समय UPPCL/UPPTCL के स्थान पर DVVNL कर संशोधित कर लिया जाये। अतः संशोधित Anti Profiteering Clause निम्नवत् होगा :-

*"As per section 171 of CGST act 2017, any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to DVVNL. Further price quoted by supplier /manufacturer is subject to scrutiny under above section."*

अतः उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

  
(के०सी० पाण्डेय)  
निदेशक (वित्त)


पत्रांक 5393 / द०वि०वि०नि०लि० / आगरा / जीएसटी

दिनांक 23/09/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (तकनीकी / वाणिज्य / का०प्र० एवं प्रशा०), द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशाली अभियन्ता, द०वि०वि०नि०लि०।

संलग्नक : यथोपरि।

  
(के०सी० पाण्डेय)  
निदेशक (वित्त)





# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)

द्वितीय तल, शक्ति मवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8270, 8257

11nd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppl@gmail.com

पत्र सं०: 05/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18

दिनांक: 20.09.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

**विषय: पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं कार्य हेतु टर्नकी आधार पर किये गये अनुबंधों पर जी०एस०टी० से सम्बंधित दिशा-निर्देश**

दिनांक 01.07.2017 से जी०एस०टी० के प्रावधान लागू हो गये हैं। निगम द्वारा एक ही निविदा में एक ही कार्यदायी संस्था से टर्नकी आधार पर कय एवं कार्य हेतु अलग-अलग अनुबंध जी०एस०टी० लागू होने से पूर्व किये जाते थे। पुरानी कर प्रणाली में सुविधा हेतु दो पृथक अनुबंध तैयार किये जाते थे परन्तु वह दोनों अनुबंध अविभाज्य (inseparable) होते थे एवं payment, performance, taking over terms etc के मामले में एक दूसरे से जुड़े (interlinked) होते थे।

ऐसे अनुबंधो पर जी०एस०टी० लागू होने से पूर्व जितना कार्य पूर्ण हो चुका था उस पर पूर्व की कर दरो के अनुसार देयता थी परन्तु उन्ही अनुबंधो पर जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात जी०एस०टी० की देयता का निर्धारण कय एवं कार्य के अनुबंधो को एक मानते हुए किया जायेगा। सी०जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 2(119) एवं Schedule-II की Entry No-06 के अनुसार ऐसे अनुबंधो को Composite supply by way of work contract माना गया है एवं Supply of Services की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर वर्तमान में जी०एस०टी० दर 18% है।

अतः पूर्व में किये गये उपरोक्त प्रकार के अलग-अलग अनुबंधों को क्लब करने के लिए संक्षम समिति से अनुमोदनोपरान्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

अनुबंधो में मूल्य निर्धारण के लिये पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 03/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18 दिनांक 10.08.2017 के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया जा सकता है:-

### 1. **Orders where price quoted are exclusive of taxes-**

ऐसे अनुबंध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु एक्सवर्कस दरें पैकिंग एवं फारवर्डिंग भाड़ा एवं बीमा आदि की दरें अनुबंधों/क्रयादेशों में अंकित की गयी थी एवं यह प्रावधान था कि इनपर (एक्सवर्कस दरों + पैकिंग एवं फारवर्डिंग को जोड़कर) लागू ई०डी० एवं सेल्सटैक्स अलग से वास्तविक दरों पर देय होता था। वर्तमान में जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात् इस प्रकार के



अनुबन्धों में एक्सवर्कस दरें + पैकिंग फारवर्डिंग + भाड़ा एवं बीमा को जोड़कर उस पर जी०एस०टी० की देयता होगी।

ज्ञात हो कि वर्तमान व्यवस्था में समग्र आपूर्ति (Composite Supply) की अवधारणा को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत पैकिंग, फारवर्डिंग, भाड़ा एवं बीमा इत्यादि पर भी जी०एस०टी० लागू होगा।

**2. Orders where price quoted are inclusive of taxes-**

ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु दरें सभी टैक्स व दरों को सम्मिलित कर प्राप्त की गयी थी, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता को Counter offer दिया जाना उचित होगा जिसमें पुराने अनुबन्धों के अनुसार FOR destination price को Freeze करते हुए उस पर जी०एस०टी० के भाग को लागू दरों पर गणना कर unload कर दिया जाए। इस प्रकार निगम पर कोई अतिरिक्त देय नहीं आएगा।

उदाहरण के तौर पर -


जी०एस०टी० लागू होने से पूर्व		
- आपूर्ति राशि (सभी करों सहित)		₹ 100.00
जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात्		
- जी०एस०टी० की दर	18 %	
- आपूर्ति राशि (Excluding GST)	$\frac{100}{118\%}$	₹ 84.75
- Add: जी०एस०टी० @18%		₹ 15.25
- कुल आपूर्ति राशि (जी०एस०टी० सहित)		₹ 100.00

आपूर्तिकर्ता द्वारा काउन्टर ऑफर स्वीकार न करने की स्थिति में उनके साथ किये गये अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना एवं उनको क्रयादेशित अवशेष मात्रा को न्यूनतम दर में देने वाले अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मों से क्रय करना उचित होगा।

3. ऐसे अनुबन्ध जहां में केन्द्रीय सेल्सटैक्स के नियमों के अनुसार फार्म-सी देने का प्रावधान था, जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात् फार्म-सी की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अतः तदनुसार अनुबन्धों में संशोधन आवश्यक होगा।
4. Anti profiteering clause : CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात् कर की दरों में आई कमी एवं कार्यदायी संस्थाओं को मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात् पूरी होगी) में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए :




“As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to UPPCL/UPPTCL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section.”

  
(प्रभात कुमार गुप्ता)  
उप महाप्रबन्धक  
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं०: 05/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित कम्पनी द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
- 2- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3- उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 5- उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 6- अनु सचिव (स० प्र० लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(प्रभात कुमार गुप्ता)  
उप महाप्रबन्धक  
(कारपोरेट टैक्स)